न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 83/2021

1. प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवारी ढाणी खोखरान त0 भादरा।

:– **वादी**

ब नाम

1. भंवरसिंह पुत्र महताबसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खोखरान त0भादरा।
2. शिशपालसिंह
3. भीमसिंह
4. भानीसिंह — पुत्रान भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खोखरान त0 भादरा।
5. इन्द्रकंवर
6. सुमित्राकंवर
7. मनोजकंवर — पुत्रियान भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खोखरान त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 162/164 के खसरा सं0 34 की 4.1230है0, खसरा सं0 344 की 5.5640है0 कुल 9. 687है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह व रोही ढाणी खोखरान क खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 48/2 की 1.6190है0, खसरा सं0 51 की 5.8570है0, खसरा सं0 52 की 0.0250है0 कुल 7.5010है0 गै0मु0 ढाणी 0.0250है0, बारानी 7.4760है0 खातदेरी प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह के बजाए वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/8 हिस्सा व रोही मोजा ढाणी खोखरान के खाता सं0 38/37 खसरा सं0 50 की 0.911है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 7/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी प्रतापसिंह, व प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह, प्रतिवादी सं0 2 शिशपालसिंह, प्रतिवादी सं0 3 भीमसिंह, प्रतिवादी सं0 4 भानीसिंह को [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना व[illegible] न्यायालय की

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-03-21 को [illegible] मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 83/2021

1. प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवारी ढाणी खोखरान त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. भंवरसिंह पुत्र महताबसिंह जाति राजपूत निवारी ढाणी खोखरान त0भादरा।
2. शिशपालसिंह
3. भीमसिंह
4. भानीसिंह

   पुत्रान भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खोखरान त0 भादरा।

5. इन्द्रकंवर
6. सुमित्राकंवर
7. मनोजकंवर

   पुत्रियान भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खोखरान त0 भादरा।

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादी**
वकील श्री उम्मेद मोठसरा **: प्रतिवादीगण**

दिनांक : 12/03/21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 162/164 के खसरा सं0 34 की 4.1230है0, खसरा सं0 344 की 5.5640है0 कुल 9.687है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह व रोही ढाणी खोखरान क खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 48/2 की 1.6190है0, खसरा सं0 51 की 5.8570है0, खसरा सं0 52 की 0.0250है0 कुल 7.501है0 बारानी खातदेारी प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह के नाम व रोही मोजा ढाणी खोखरान के खाता सं0 38/37 खसरा सं0 50 की 0.911है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता महताबसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। महताबसिंह से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली। [illegible] है। वादभूमि

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि [illegible] हक एवं अधिकार वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी [illegible] करना निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल [illegible] ऋण आदि की आवश्यकता [illegible] वादी चाहिते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, [illegible] अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार ह[illegible] लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 8 स्टेट की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खोखरान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 162/164 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही ढाणी खोखरान के खाता सं0 37/36 संवत 2075–78 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही ढाणी खोखरान खाता सं0 38/37 संवत 2075–78 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही कणाऊ के खाता सं0 175/189 संवत 2044 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही ढाणी खोखरान के खाता सं0 19/66 संवत 2043 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही ढाणी खोखरान खाता सं0 60/162 संवत 2043 प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत राजपूरा 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने कणाऊ, ढाणी खोखरान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 7 में वारिसप्रमाण पत्र में भंवरसिंह के चार पुत्र शिशपालसिंह, भीमसिह, भानीसिंह व प्रतापसिह व तीन पुत्री इन्द्रकंवर, सुमित्राकंवर व मनोजकंवर के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 162/164 के खसरा सं0 34 की 4.1230है0, खसरा सं0 344 की 5.5640है0 कुल 9.687है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह व रोही ढाणी खोखरान क खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 48/2 की 1.6190है0, खसरा सं0 51 की 5.8570है0, खसरा सं0 52 की 0.0250है0 कुल 7.5010है0 गै0मु0 ढाणी 0.0250है0, बारानी 7.4760है0 खातदोरी प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह के बजाए वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/8 हिस्सा बारानी व रोही मोजा ढाणी खोखरान के खाता सं0 38/37 खसरा सं0 50 की 0.911है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 7/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी स0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 162/164 के खसरा सं0 34 की 4.1230है0, खसरा सं0 344 की 5.5640है0 कुल 9.687है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह व रोही ढाणी खोखरान क खाता सं0 37/36 के खसरा सं0 48/2 की 1.6190है0, खसरा सं0 51 की 5.8570है0, खसरा सं0 52 की 0.0250है0 कुल 7.5010है0 गै0मु0 ढाणी 0.0250है0 बारानी 7.4760है0 खातदोरी प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह के बजाए वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/8 हिस्सा बारानी व रोही मोजा ढाणी खोखरान के खाता सं0 38/37 खसरा सं0 50 की 0.911है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Satyan Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भंवरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 7/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/16 हिस्सा वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी प्रतापसिंह, व प्रतिवादी सं0 1 भंवरसिंह, प्रतिवादी सं0 2 शिशपालसिंह, प्रतिवादी सं0 3 भीमसिंह, प्रतिवादी सं0 4 भानीसिंह को हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-03-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner